प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 10-01-2026**

विषयः जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ में स्थित रामगंगा मुख्य बांध सड़क के 2.45 किमी० पर क्षतिग्रस्त सड़क का जीर्णोद्धार एवं नदी किनारे ढ़लान की सुरक्षा कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-1672/2038/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 16.10.2025 के प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है **कि "जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ में स्थित रामगंगा मुख्य बांध सड़क के 2.45 किमी० पर क्षतिग्रस्त सड़क का जीर्णोद्धार एवं नदी किनारे ढ़लान की सुरक्षा कार्य की परियोजना"** लागत धनराशि रू० 91.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4700-19-051-10-14-24 के अन्तर्गत उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रू० 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को प्रथम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में परियोजना के कार्यों पर व्यय करने हेतु अवमुक्त किये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।
2. प्रायोजना पर मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा ।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।
4. परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा ।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तयरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा ।
6. स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /डिपाजिट में नहीं रखी जाएगी ।
7. परियोजना पर नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरण क्लीयरनेस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।
9. प्रशासकीय विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
10. परियोजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
11. परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा ।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए । विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता के अनुसार ही कराया जायें। उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/ बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा ।
13. परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियॉ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं अन्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं का होगा। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं। परियोजना हेतु आगामी मांग के समय पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये गये कार्यों का मुख्य अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर मांग पत्र के साथ निरीक्षण आख्या/कार्यों के फोटोग्राफ तथा मांग से पूर्व परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि राजकोष से आहरित किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-3504/20-27-सिं0-4-21(डब्ल्यू)परि0/2019, दिनांक 10.12.2020 में दिये निर्देशानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
14. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व विभाग के संबंधित अधिकारियो का होगा ।
15. कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे तथा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय का विवरण बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

-3-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4700190511014 सम्बद्ध कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव ।

संख्या-15(1)/2026/633P/25-27-सिं०-4-001-CN-2006122, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), बरेली/ मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मुरादाबाद, उ0प्र0 ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर, उ०प्र०।
9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/ नियोजन अनुभाग-3/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
11- नोडल अधिकारी/अनुसचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।